



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022021-225450
CG-DL-E-25022021-225450

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2021/फाल्गुन 6, 1942

No. 94]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 135(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, समूह 'क' भर्ती नियम, 2015 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, समूह 'क' पद भर्ती संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभ में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र समूह 'क' भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" रखे जाएंगे।

3. उपर्युक्त नियमों में, नियम 1 में, "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" रखे जाएंगे।

4. उपर्युक्त नियमों में स्तंभ (4) की अनुसूची में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखा जाएगा।

(ख) प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि "वेतन मैट्रिक्स (182200-224100) में स्तर 15" रखा जाएगा।

5. उक्त नियमों में, अनुसूची में, स्तंभ (6) में, टिप्पण में, "जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग" शब्दों के स्थान पर "लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, अनुसूची में, स्तंभ (11) में, उप-शीर्षक प्रतिनियुक्ति में (अल्पवकालिक संविदा सहित),-

(i) खंड (क) के, उपखंड (अ) में शब्दों, अंकों और अक्षरों की मद (ii) में ग्रेड वेतन "10,000 के साथ 37,400-67,000/-रु. के वेतन बैंड-4" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों "वेतन मैट्रिक्स (144200-218200 रु.) के स्तर-14", रखे जाएंगे।

(ii) खंड (ख) में शब्द, अंकों और अक्षरों हेतु "ग्रेड वेतन 10,000 के साथ 37,400-67,000/-रु. के वेतन बैंड-4" दो स्थानों जहां वे होते हैं, के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंको, कोष्ठकों और अक्षरों "वेतन मैट्रिक्स (144200-218200 रु.) के स्तर-14", रखे जाएंगे।

(iii) टिप्पण 2 में, अंक 56 के स्थान पर, निम्नलिखित अंक 58 रखा जाएगा।

7. उक्त नियमों में, अनुसूची में, स्तंभ (12) में, क्रम संख्या 1 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएंगी, अर्थात:-

"1 "सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष"

[फा. सं. 1(10)/2020-पी-III]

सिम्ली चौधरी, आर्थिक सलाहकार और कार्मिक प्रभाग के प्रभारी

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i), तारीख 10 अप्रैल, 2015 में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 277 (अ) तारीख 8 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2021

G.S.R. 135(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the erstwhile Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, Director General, National Informatics Centre, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Director General, National Informatics Centre, Group 'A' Post Recruitment Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, Director General, National Informatics Centre, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015 (herein after referred to as said rules), in the preamble, for the words, "Ministry of Communications and Information Technology,

Department of Electronics and Information Technology”, the following words “Ministry of Electronics and Information Technology” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 1, for the words “Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology”, the following words “Ministry of Electronics and Information Technology” shall be substituted.

4. In the said rules, in the Schedule, in column (4),-

(A) for the heading, the following heading “Level in the Pay Matrix” shall be substituted;

(B) for the entry, the following entry “Level 15 in the Pay Matrix (Rs. 182200-224100)” shall be substituted.

5. In the said rules, in the Schedule, in column (6), in the Note, for the words “Ladakh Division of Jammu and Kashmir State”, the following words “Union territory of Ladakh” shall be substituted.

6. In the said rules, in the Schedule, in column (11), in the sub-heading Deputation (including short-term contract),-

(i) in clause (A), in sub-clause (a), in item (ii) for the words, figures and letters “pay band-4 Rs. 37,400-67,000/- with grade pay –Rs. 10,000”, the following words, figures, brackets and letters “Level 14 in the Pay Matrix (Rs. 144200-218200)” shall be substituted;

(ii) in clause (B) for the words, figures and letters “pay band-4 Rs. 37,400-67,000/- with grade pay – Rs. 10,000”, at both the places where they occur, the following words, figures, brackets and letters “Level 14 in the Pay Matrix (Rs. 144200-218200)” shall be substituted;

(iii) in Note 2, for the figure “56”, the following figure “58” shall be substituted.

7. In the said rules, in the Schedule, in column (12), for serial number 1, the following serial number shall be substituted, namely:-

“1. Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology – Chairman;”.

[F. No. 1 (10)/2020-P.III]

SIMMI CHAUDHARY, Economic Adviser & In-charge of Personnel Division

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 10th April, 2015 vide notification number G.S.R. 277(E), dated the 8th April, 2015.